

आदेश

जनपद-अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.43 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 4.86 है० सिविल भूमि का नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अनुरोध के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा अपने पत्र संख्या 273,302(मु०)/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2024-25, दिनांक 27 जनवरी, 2025 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी, खसरा, नक्शा व संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं उप सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 335/X-4-15/1(160)/2015 दिनांक 30 मई, 2015 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण के लिए ग्राम कालनू, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के गैर ज०वि०खतौनी खाता संख्या-19/236 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत संख्या 7225 म० रकवा 4.860 है० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, रानीखेत तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 12 फरवरी, 2025

(अलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या- 3040 / ग्यारह-11 / 2024-25 दिनांक: 13 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा (नोडल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 4- संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
- 5- तहसीलदार, रानीखेत।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

4
(अलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

2024-25
X
4607
13/2/2025

①

गैर प.वि. खेतोंनी उद्धारण ग्राम. कालनू तहसील - रानीखेत जिला - अल्मोड़ा

प्रेणी - ७(३)उ - कृषि योग्य बंजर भूमि

क्रमांक	नाम	प्लॉट नं.	खेत नं.	रकबा	लोक	विवरण
७/२३६	बंजर का.आ.		२	०.३८८		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आ. सं. ३१६०/ग्यारह-१२-२०१५ दि. ३/३/२०१५ के ग्राम कालनू पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील - रानीखेत के गैर प.वि. ख. खा. सं. १३/२३६ की प्रेणी ७(३) उ योग्य बंजर भूमि के पैमाइशी खेत नं. १२३३ मध्ये कुल रकबा १.३३ हे. सिविल भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। हस्ताक्षर अस्पष्ट ६/३/०१५
			४	०.४२९		
			९	०.०५०		
			१६	०.०८२		
			↓	↓		
			१०४	०.०६०		
			५६९	०.३२०		
			↓	↓		
			५८१	०.१३५		
			१३८५	१.३२०		
			↓	↓		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं. ३१६०/ग्यारह-१२-२०१५ दि. ३-३-१५ के ग्राम कालनू पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील रानीखेत के गैर प.वि. ख. खा. सं. १३/२२६ की प्रेणी ७(३)उ योग्य बंजर भूमि के पैमाइशी खेत नं. १२३३ मध्ये कुल रकबा १.९५० हे. सिविल भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित भूमि को वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। हस्ताक्षर अस्पष्ट दि. ६/४/०१५
			१३८९	०.००५	पैखी	
			१६३३	०.५६६		
			↓	↓		
			१७४१	०.३९०		
			१८०६	०.१५०		
			१९९७	०.०५०		
			२०४२	०.०१५		
			↓	↓		
			२०४४	०.१२५		
			२०७४	०.०१८		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं. ३१६२/ग्यारह-१४-२०१५ दि. ३/३/०१५ के ग्राम कालनू पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील रानीखेत के गैर प.वि. ख. खा. सं. १३/२२६ की प्रेणी ७(३)उ योग्य बंजर भूमि के पैमाइशी खेत सं. १२३० रकबा १.८६४ हे. एवं खेत सं. १२३७ मध्ये रकबा ०.८४१ हे. कुल २.७०५ हे. सिविल भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। हस्ताक्षर अस्पष्ट ६/५/०१५
			२०९२	९.३०६		
			२२१५	०.०२१		
			↓	↓		
			२३०२	०.०२९		
			२४५१	०.२६५		
			३२४४	०.०१३		
			↓	↓		
			३६१८	०.००८	सेला	
			३६३२	०.२६५	सेला	
			↓	↓		प्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं. ३९१६६/ग्यारह-१८/२०१५ दि. ३/३/१५ के ग्राम कालनू पटवारी क्षेत्र पाखड़ा तहसील रानीखेत के गैर प.वि. ख. खा. सं. १३/२३६ के प्रेणी ७(३) योग्य बंजर भूमि के पैमाइशी खेत नं. १२३३ मध्ये रकबा २.४३८ हे. कुल २.४३८ हे. सिविल भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। हस्ताक्षर अस्पष्ट दि. ६/१२/०१५
			३७४८	०.००९	मेला-धार	
			३७७२	०.११६		
			३७९१	०.०३६		
			↓	↓		
			३९८६	०.०२९		
			४१४८	०.०१३	मेला-धार	
			↓	↓		
			४१४८	०.०१३	मेला-धार	
			↓	↓		
			४१४८	०.०१३	मेला-धार	

हस्ताक्षर अस्पष्ट

६/५/०१५

संख्या	नाम	फसली	खेत नं.	रकबा	लोक	विवरण
10/236	बंजर का. आ.		4150	0.015	ग्रीष्म कृषि	श्रीमान पिता अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं. 3968/ग्यारह - 20/2015 दि. 3.3.15 के ग्राम कालन पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज. वि. ख. खा. सं. 19/226 की ज़ेमी 3(3) गोमय बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं. 7237 मध्ये रकबा 4.213 हेक्टर सिविल भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में - हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है। हस्ताक्षर अस्पष्ट 6/4/15
			4156	0.028		
			4281	0.030		
			↑	↑		
			4476	0.040		
			4483	0.030		
			4504	0.030		
			4706	0.013		
			↑	↑		
			4717	0.016	रेखा, गहवा	
			4724	0.048		श्रीमान पिता अधिकारी अल्मोड़ा के सं. 3462/ग्यारह - 12/2016-17 दि. 24/2/2017 के ग्राम कालन पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा रा. उ. नि. क्षेत्र पाखुड़ा के ज़ेमीनी आता सं. 19/226 की ज़ेमी 3(3) व. का. आ. के पैमायशी खेत नं. 7233 मध्ये 0.860 हे. खेत नं. 7241 रा. 1.055 हे. नं. 72.50 रा. 4.235 हे. कुल 6.150 हे. भूमि क्षति - पूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी जो भूमि रिकाना पुल सिविल खेला प्रस्तावित मोटरमार्ग हेतु प्रस्तावित है। हस्ताक्षर अस्पष्ट दि. 29/06/17
			4967	0.003		
			↑	↑		
			4970	0.013	रेखा, गहवा	
			4976	0.008		
			5378	0.145		
			↑	↑		
			5376	0.060	कुतुरा	
			5381	0.450		
			5691	0.023	डीना	
			↑	↑		श्रीमान पिता अधिकारी महोदय के सं. 2483/ग्यारह, 13/ - 2016-17 दि. 24/3/2017 के जालही से मासो तक - प्रस्तावित मोटरमार्ग ग्राम कालन क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज. वि. ख. खा. सं. 19/226 की ज़ेमी 3(3) व. का. आ. के पैमायशी खेत नम्बर 7238 सं. 6.102 हे. सिविल भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी। हस्ताक्षर अस्पष्ट दि. 29/6/2017
			5701	0.480	रेखा	
			6107	0.013		
			↑	↑		
			6111	0.030	तहसील	
			6115	0.026		
			6143	0.008		
			6524	0.035		
			6742	0.035		
			↑	↑		
			6765	0.024	रेखा	श्रीमान पिता अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 2194/ग्यारह - 14/2015 दि. 15 उ. पानवरी 2025 के अनुसार ग्राम - कालन की गैर ज. वि. ख. खा. संख्या 19/226 ज़ेमी 3(3) व. बंजर काबिल आबाद के खेत आबाद 2092 मध्ये रकबा 2.705 हे. सिविल भूमि को बरतौली से बान्छोक मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के मापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है। हस्ताक्षर अस्पष्ट दि. 29/6/2017
			6856	0.014	नैकण	
			6904	0.045		
			7049	0.250		
			7125	0.050		
			7133	0.036		
			7161	0.063		
			7167	0.020		
			7170	0.013		
			↑	↑		
			कमशः	कमशः		श्रीमान पिता अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यलय आदेश सं. 3043/ग्यारह - 14/2024-25 दिनांक 13 फरवरी 2025 के अनुसार ग्राम - कालन की गहवा मयौली के मोटरमार्ग हेतु तहसील रानीखेत पिता अल्मोड़ा के गैर ज. वि. क्षेत्र - पाखुड़ा सं. 19/236 ज़ेमी 3(3) व. बंजर काबिल आबाद के ज़ेमीनी आता खेत सं. 2092 म. रकबा 5.64 हे. सिविल भूमि को

खता संख्या	नाम खतिवार	फसली	खेत नं.	(3) रकवा	होत	विवरण
19/236	बंजर काबिल आबाद					
			7173	0.030	असह्यनी	क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित की जाती है।
			7182	0.033		
			7193	1.470		
			7195	0.035		
			7207	0.023		
			7211	0.258		
			7217	0.230		
			7218	0.313		
			7220	0.300	भुनडा	
			7225	6.000		
			7226	10.000		
			7227	0.613		
			7229	6.049		
			7230	4.864		
			7233	5.845		
			7234	10.684		
			7237	8.326		
			7238	1.029		
			7240	0.031		
			7243	1.055		
			7250	4.235		

सांख्यिक
रा. उ. नि. पाखुडा
01/03/2025

मु. आ. नयाबाद सं. 152/370/533 जन् 70
-71 श्रीमान कुमाल कर्मिणर दिनांक 15/5
/72 के घनशम पु. नगरम को खेत नं.
उ. ग. मध्ये 5 नही भूमि बागीचा हेतु स्वीकृत
होने पर अमलकरामद घाट के रूप में
किया।

ह. अ.

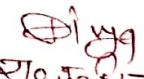
दि. 11-1-85

श्रीमान पिताधिकारी महोदय अल्मोडा के -
कार्यालय आ. सं. - 3040/ग्यारह - 11/2014-25
दिनांक 13 फरवरी 2025 के अनुसार अनपद
अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में आमतो
- ला - चमुना - कपकोली मोटरगाड़ी हेतु क्षतिग्रस्त
वृक्षारोपण हेतु ग्राम - कालनू रा. उ. नि. क्षेत्र
पाखुडा तहसील - रानीखेत, पिता - अल्मोडा के गैर
अ. वि. खेतों में खाल सं. 13/236 जे. 9 (उ. 3)
बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत सं. 7225
म. रकवा 4.860 हे. सिविल भूमि को क्षतिग्र
- रक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक
नियन्त्रण में हस्तांतरित की जाती है।

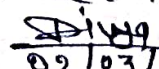
सांख्यिक
रा. उ. नि. पाखुडा
01/03/2025

श्रीमान पिताधिकारी महोदय अल्मोडा के कार्यालय
आदेश सं. - 3042/ग्यारह - 13/2024 - 25 दिनांक
13 फरवरी 2025 के अनुसार अनपद अल्मोडा में
सिंधीवागमल तड़कोट गुणादित्य मोटरगाड़ी हेतु
क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु ग्राम - कालनू के गैर
अ. वि. खेतों में खाल संख्या 13/236 जे. 9 (उ. 3)
बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत सं.
7229 रकवा 6.448 हे. रक. खेत सं. 7234
म. 0.115 हे. कुल रकवा 6.164 हे. सिविल भूमि
को क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के
प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित की जाती है।

सांख्यिक
रा. उ. नि. पाखुडा
01/03/2025

खता संख्या	नाम खतेवर	फसली	खेत सं.	रकबा	हैक	विवरण
19/236	बंजर कां. आं.					प्रीमान-जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय आं.सं. - 3041/ग्यारह - 12/2024-25 दिनांक 13 फरवरी 2025 के अनुसार प्राप्त अल्मोड़ा में लेखी-गैर नुन से बरतीली मोटरमार्ग हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम. कालन रा. उ. नि. क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत, जिला - अल्मोड़ा के गैर जं. वि. खतेनी खाता सं. 19/236 जेनी 9(3) ड बंजर का क्षति आवक के पैमायशी खेत सं. 7234 म. रकबा 2.785 हे. क्षतिपूर्ति शुमि को - क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित की जाती है।  राजेश कुमार 01/03/2025 प्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के अल्मो. सं. - 3081/ग्यारह - 13/2015 दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुसार मकड़-दशौली मोटरमार्ग के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम - कालन रा. उ. नि. क्षेत्र - पाखुड़ा, तहसील - रानीखेत, जिला - अल्मोड़ा के गैर जं. वि. खतेनी खाता सं. 19/236 जेनी 9(3) ड क्षतिपूर्ति बंजर शुमि के पैमायशी खेत सं. 7234 म. रकबा 1.950 हे. क्षतिपूर्ति शुमि के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित की जाती है।  राजेश कुमार 02/03/2025
	योग		492	116.146		

महोदय गैर जं. वि. खतेनी नकल असल में नकल नी गई।


 02/03/2025
 राजस्व उप निरीक्षक
 क्षेत्र... पाखुड़ा...
 तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के